Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 25–2024] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 18, 2024 (JYAISTHA 28, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनाक 7 जून, 2024

संख्या 12/39–2024/पुरा/वॉल्यूम–II/1944–50.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों और प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों का हरियाणाा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है।

इसलिए, अब, हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, के साथ, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, पर विचार करेगी।

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
बावडी बादशाहपुर 20वीं शताब्दी पूर्व	बावडी बादशाहपुर 20वीं शताब्दी पूर्व	बादशाहपुर	गुरूग्राम	खेवट संख्या 26 खसरा संख्या 105	8–1 (गैर मु.)	शिक्षा विभाग हरियाणा	वास्तुकला की दृष्टि से बावडी हरियाणा की जल संचयन संरचनाओं का एक अच्छा उदाहरण है और अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका निर्माण 1905 में किया गया था। बादशाहपुर में बावडी राजमार्ग 13 पर स्थित है और एक स्कूल के पीछे छिपी हुई है।बावडी संरचना में एक आयताकार टैंक शामिल है जिसे चौडी सीढियों की एक

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
							श्रृंखला द्वारा कई अलग–अलग टैंको/स्थानों में विभाजित किया गया है। संरचना का निर्माण ईटों और प्लास्टर से किया गया है। टैंक की एक तरफ की दीवार बगल के स्कूल द्वारा सांझा की जाती है।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 7th June, 2024

No. 12/39-2024/pura/Vol.II/1944-50.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains, ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964) the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be a protected archaeological sites and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, from any person with respect to the proposal which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department, Chandigarh before the expiry of the period so specified: -

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district.	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Baoli at Badshahpur 20th Centurey CE	Baoli at Badshahpur 20th Century CE	Badshahpur	Gurugram	Khevat No. 26 Khasra No. 105	8-1 (Gar.Mumkin)	Education Department, Haryana	Architecturally the Baoli is a good example of Haryana's water harvesting structures and is still in a very intact condition. It was constructed in 1905. The Baoli at Badshapur is located off the Highway 13 and is hidden behind a school. The Baoli structure consists of a rectangular tank accessible by a series of broad steps. The tank is divide into a number of different tanks/spaces by a series of arched walls, spanning the width of the tank. The structure is constructed of brick and plastered. One of the side walls of the tank is shared by the adjoining school.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Heritage and Tourism Department.

11122—C.S.—H.G.P., Pkl.